पटना में दिनांक—28 नबम्वर, 2018 बुधवार को अपराह्न 6:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1.	पटना जिलान्तर्गत नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना परिसर में टी०ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल—14 (चौदह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

2.	एन०एच०—30 (पटना—आरा) एवं एन०एच०—19 (सोनपुर—छपरा) को जोड़ने हेतु (भाया बबुराघाट— डोरीगंज) गंगा नदी पर कुल 17.80 कि०मी० लंबाई में पहुँच पथ निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेनेज कार्य, गाइड बाँध निर्माण कार्य, River Training work एवं भू—अर्जन आदि कार्य सहित 4000 मीटर लम्बाई का 4—लेन उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य कुल 88600.00 लाख (आठ सौ छियासी करोड़) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4.	"बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली, 2018" की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

5.	संविधान के अनुच्छेद—151 (2) के अधीन महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष 2016—17 का प्रतिवेदन "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" को बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

6.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों में से कुल–01 (एक) व्यवसाय अनुदेशक, श्री वरूण ठाकुर के नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1029 दिनांक–19–01–2012 एवं संकल्प संख्या–17415 दिनांक 20–12–12 को शिथिल करते हुए दिनांक–01–06–2018 से 31.05.2019 (एक वर्ष) तक अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए अवधि विस्तार करने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7.	वर्ष 2019 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा।	7.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8.	"बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 2018" की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

9.	पटना में स्थापित Software Technology Park of India (STPI) Centre के विस्तार हेतु राज्य सरकार की ओर से STPI को सहायक अनुदान के रूप में राशि ₹26,55,00,000.00 (छब्बीस करोड़ पचपन लाख) मात्र उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2703/2017 कृष्णानन्द यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य (एस०एल०पी० संख्या 12591/2010) में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन एवं न्यायमूर्त्ति एस०बी० सिन्हा आयोग की अनुशंसा के आलोक में चतुर्थ चरण अंतर्गत अंगीभूतीकरण किए गए 28 महाविद्यालयों में Referred श्रेणी के कुल 122 योग्य शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा स्वीकृत पद के अन्तर्गत अन्तर्लीनीकरण एवं अवशेष Referred श्रेणी के कर्मियों को प्रशासी विभाग द्वारा अन्तर्लीनीकरण हेतु अधिकृत करने पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा–4 की उपधारा (4) में संशोधन करने हेतु संलग्न विधेयक प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को साँतवे पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा हेतु समिति गठन करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

13. वित्तीय वर्ष– 2018–19 में नाबार्ड के RIDF Phase-XXIV के अन्तर्गत स्वीकृत 45 सतही सिंचाई योजनाओं, प्राक्कलित राशि 13989.138 लाख (एक सौ उनचालीस करोड़ नवासी लाख तेरह हजार आठ सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) से उत्क्रमित 30 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) को क्रियाशील करने हेतु पूर्व स्वीकृत विभिन्न कोटि के पदों में से अनुपयोगी 240 पदों के प्रत्यर्पण, उपयोगी 510 पदों को अब CHC हेतु स्वीकृत मानने एवं इन उत्क्रमित CHCs हेतु आवश्यक विभिन्न कोटि के कुल 1320 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–17525/2017 में दिनांक 07. 05.2018 को पारित आदेश के आलोक में बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) चिकित्सा सेवा सम्वर्ग (गैर शैक्षणिक) के चिकित्सा पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक 28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तदनुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान SLP (Civil)CC संख्या 24758–24765 /2016 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

वित्त विभाग

16. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–8–23/2017–ई॰III–ए, दिनांक–28/09/2018 के आलोक में राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या–630, दिनांक–21/01/2010 के साथ संलग्न शिड्यूल–II में विहित प्रारम्भिक वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण के संबंध में। — 16. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

17. बाँका जिलान्तर्गत रजौन, धोरैया एवं धनकुण्ड थाना को मिलाकर रजौन में एक पुलिस अंचल का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–04 (चार) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 17. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

18. भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती प्रत्येक वर्ष 25 दिसम्बर को राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में। — 18. **स्वीकृत।**